न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी :— गगांधर मीणा (R.A.S.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
120/2019	27.06.2019	15.03.22

उनवान

1. बाबूलाल पुत्र श्री हीरालाल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम सारनवास तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।

—: वादी

बनाम

1. धर्मदेव पुत्र श्रीचन्द जाति अहीर निवासी ताजलका तहसील तिजारा हाल आबाद सारनवास तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।

.... प्रतिवादी

वाद दखलयाबी व बमय हुक्म ईम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: निर्णय :—

दिनांक :— 15.03.22

उपस्थिति :—
1— श्री कृष्ण कुमार यादव, वकील वादी

मिन वादीगण वाद निम्न प्रस्तुत है :—

1. यह है कि आराजी खसरा नम्बर 528/1 रकबा 0.30 है0 वाके ग्राम पहाडवास तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 में स्थित है कि जो मिन वादी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है कि जिसके राजस्व रिकोर्ड में मिन वादी के नाम का अमल दरामद हो रहा है।
2. यह है कि आराजी खसरा नम्बर 528 रकबा 1.17 है0 ग्राम पहाडावास मिन वादी बाबूलाल व मिन वादी के सगे भ्राता पहलाद की 1/2 भाग एवं धर्मदेव पुत्र श्रीचन्द की 1/2 भाग की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी थी। मिन वादी का उक्त खातेदारान के साथ सामलात मे काश्त करना दूभर हो गया था। जिस कारण मिन वादी ने उक्त आराजी के विभाजन की बाबत दिनांक 03.04.2014 को न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम में बअनुवानी वाद बाबूलाल बनाम प्रहलाद बगेरा दावा तकासमा आराजी मु0 न0 53/2014 पेश किया था। की बाद गैर उक्त वाद का निस्तारण मुताबिक कब्जा काश्त के कुरे कायमी रिपोर्ट मंगवाई जाकर दिनांक 11.06.20.. को आराजी निर्णय किया गया था। तथा कुरे कायमी रिपोर्ट के आधार पर आराजी का तितम्बा भी काट दिया गया था। तितम्बा के आधार पर मिन वादी के हिस्से कब्जे काश्त में आरजी खसरा नम्बर 528/... आया था। जिस पर मिन वादी पूर्व से ही काबिज व दाखिल होकर काश्त करता चला आ रहा था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 17:33:33 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

3. यह है कि मिन वादी बसिलसिले रोजगार अपने परिवार सहित कोटा राज0 में रहता है तथा कोटा में मिन वादी ने कृषि भूमि खरीद की हुई है रिहाईश मकान्नात बनाये हुए है। इसलिए मिन वादी समय समय पर अपनी आराजी उक्त विवादित को ग्राम पहाड़वास में आकर समय समय पर सम्भालता रहा था। मिन वादी माह नवम्बर सन् 2016 में जब अपनी उक्त विवादित आराजी में फसल काश्त करने हेतु अपने ग्राम पहाड़वास कोटा से आया उक्त विवादित आराजी पर गया तो मिन वादी आराजी में जोत लगी हुई मिली प्रतिवादी अपने खेत में काश्त कर रहा था मिन वादी ने प्रतिवादी से पूछा की मेरी जमीन को किसने जोता है तो प्रतिवादी ने जवाब दिया की आपकी जमीन मैने जोती है क्योंकि आपके पास सिचाई का कोई साधन नही है इसलिए उक्त विवादित आराजी को मै काश्त कर लूगा. मिन वादी ने मना किया की मै स्वयं ही अपनी आराजी में काश्त करूगा। किन्तु प्रतिवादी ने जालसाजी करते हुए अवैध रूप से मिन वादी की आराजी पर कब्जा करने की नियत से जबरन जिन्स का लोभ देते हुए उक्त आराजी अपने पास रखली। प्रतिवादी ने ना तो कभी मिन वादी को आराजी की जिन्स ही दी। तथा मिन वादी की विवादित आराजी में प्रतिवादी द्वारा जबरन आवंले के पौधे और लगा दिये है मिन वादी के द्वारा अपनी आराजी को छोडने हेतु भी कई बार तकजा प्रतिवाद से किया किन्तु प्रतिवादी उक्त अवैध कब्जा को छोडने हेतु बहाने बनाने लग गया। तथा दिनांक 17.06.2019 को मिन वादी ने पुनः प्रतिवादी आराजी का कब्जा छोड कर वादी को सोपने हेतु कहा तो प्रतिवादी ने मिन वादी को ऐलानिया तौर पर धमकी देते हुए कहा कि मेने तो तेरी आरजी पर अवैध कब्जा करने हेतु जिन्स का बहाना बनाया था तेरी आराजी पर कब्जा कर लिया है जिस कब्जा को मै नही छोडूगां तेरी दिन मे आये जो करले, तथा मिन वादी को प्रतिवादी द्वारा धमकी दी गई कि मै कानुन कायदे की भी परवाह नही करता हू मेरे पास लठ व पैसे दोनो ही है। मिन वादी के अधिकार कानुन द्वारा रक्षित है। इसलिए मिन वादी अपने अधिंकारो की रक्षार्थ प्रतिवादी को विवादित आराजी से बेदखल कर पुनः विवादित आराजी पर दखल प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः दावा दखलयाबी पेश करना लाजिम आया।

4. यह है कि मिन वादी की आराजी को काश्त जिन्स हेतु प्रतिवादी द्वारा माह नवम्बर 2016 में लिया था लेकिन अब प्रतिवादी द्वारा दिनांक 17.06. 2019 को प्रतिवादी ने मिन वादी को ऐलानिया तोर पर धमकी देते हुए कहा कि मै तुम्हारी आराजी से कब्जा नही छोडूगा मने तुम्हारी आराजी पर कब्जा कर लिया है मिन वादी द्वारा उक्त रकबा पर दखलपाने हेतु प्रतिवादी से कहा गया तो प्रतिवादी वादी के साथ आमादा फिसाद हुआ एव उक्त रकबा वादी का खाली कर उक्त रकबा वादी को सौपने हेतु साफ इन्कार हो गया। मिन वादी के [illegible] रक्षित है। सुविधा का सतुलन व नापूर्तिनिय क्षति [illegible] आने अधिकारो की रक्षार्थ वादी प्रतिवादी [illegible] हुक्म [illegible] से पाबन्द करवाने का अधिकारी है [illegible] लाजिम आया है।

5. यह है कि वादी द्वार प्रतिवादी को दिनांक 17.06.2019 को आराजी से बेदखल कर पुनः विवादित आराजी पर दखल प्राप्त करने हेतु कहा जिस

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 17:33:33 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

पर प्रतिवादी ने मिन वादी को विवादित आराजी पर दखल देने से इन्कार करते हुए अमाद फिसाद हुआ कि जो तारिख दावा हाजा के लिए बिनाए व बिनाए मुखासमत पैदा होकर वाद वादी मामूलान अन्दर मियाद पेश है।

वादी के द्वारा अनुतोष चाहा गया है कि :–

अ– यह है कि डिक्री इजाय दखलयाबी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस कदर पारित किया जावे की वादी की आराजी हाल खसरा नम्बर 528/1 रकबा 0.30 है0 वाक ग्राम पहाडवास तहसील कोटकासित जिला अलवर राज0 से प्रतिवादी को बेदखल किया जाकर विवादित आराजी पर पुनः वादी को प्रतिवादी से दखल दिलाया जावे।

ब– यह है कि डिक्री इजाय हुक्म ईम्तनाई दवामी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस कदर पारित की जावे की हाल आराजी खसरा नम्बर 528/1 रकबा 0.30 है0 ग्राम पहाडवास तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 कह मौका की स्थिति में किसी प्रकार से तबदीली ना करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी करवाए जाने के बाद प्रतिवादी अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीगण ने अपने वादपत्र की ताईद में प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत 2069–72 पेश किये। जो शामिल मिसल है।

वकील वादी की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वादपत्र के तथ्यों को दौहराते हुये विवादित आराजी में उक्तानुसार प्रतिवादी को बेदखल कर वादी को कब्जा दिलाया जावे।

वकील वादी की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किये जाने पर वादी विवादित आराजी पर रिकोर्डड खातेदार काश्तकार होने की स्थिति वादी के वाद का यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

–:: निर्णय ::–

अतः वाद वादी बहक वादीगण बरखिलाफ प्रतिवादी डिक्री किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा नम्बर 528/1 रकबा 0.30 है0 वाके ग्राम पहाडवास तहसील कोटकासिम जिला अलवर से प्रतिवादी धर्मसिंह को बेदखल कर वादी बाबूलाल को उक्त खसरा नम्बर पर दखल दिया जावे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 15.6 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally Signed by Ganga Sahar Meena
Date: 2022.05.07 17:33:33 IST
Reason: SelfAttested

(गंगासहाय मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर) राज0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी :– गगांधर मीणा (R.A.S.)

दावा सख्या
120/2019

रजू दिनांक
27.06.2019

पर्चा डिक्री दिनांक
.....

उनवान

1. बाबूलाल पुत्र श्री हीरालाल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम सारनवास तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।

–: वादी

बनाम

1. धर्मदेव पुत्र श्रीचन्द जाति अहीर निवासी ताजलका तहसील तिजारा हाल आबाद सारनवास तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।

..... प्रतिवादी

वाद दखलयाबी व बमय हुक्म ईम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: पर्चा डिक्री :–

वादीगण की ओर से श्री कृष्ण कुमार यादव **एडवोकेट की** उपस्थिति एवं प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 15.3.22 को श्री **गंगाधर मीणा उपखण्ड अधिकरी कोटकासिम के समक्ष** अन्तिम निपटारे के लिए पेश हुई। अन्तिम डिक्री दी जाती है कि–

आराजी खसरा नम्बर 528/1 रकबा 0.30 है0 वाके ग्राम पहाडवास तहसील कोटकासिम जिला अलवर से प्रतिवादी धर्मसिंह को बेदखल कर वादी बाबूलाल को उक्त खसरा नम्बर पर दखल दिया जावे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ~~03.03.2022~~ 15.3.22 **को मेरे द्वारा लिखया जाकर बाद न्यायालय की मुत्रा जारी की गई।**

(गंगाधर मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम, जिला अलवर राज0

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 17:33:33 IST
Reason: SelfAttested